उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-07/2018/130/92-2-18-121जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 17 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो के सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल" योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्यो में रूचि न लेने के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-74/2016/1812/92-2-16-121जांच/2016, दिनांक 22-11-2016 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट का भी अतिरिक्त कार्यभार था, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री मनोज कुमार गर्ग को कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर से सम्बद्ध किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-2159/92-2-2016-121जांच/2016, दिनांक 16-12-2016 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग के विरूद्ध अनुमोदित अरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-कानपुर द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री मनोज कुमार गर्ग को दिनांक 20-12-2016 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 29-12-2016 को बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया।

3- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र दिनांक 25-02-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कुल- 05 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया, परन्तु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो को सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना" के अंतर्गत चयनित विद्यालयो में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्य में रूचि न लेने के लिए दोषी पाया गया, जिसके लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2017/350/92-2-17-121जांच/16, दि0 25.05.2017 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,जनपद-चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार था को वर्ष 2016-17 के लिए "परिनिन्दित" करते हुए कार्यालय ज्ञाप सं0-74/16/1812/92-2-16-121जांच/16, दिनांक 22-11-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें सेवा में बहाल करते हुए समाप्त कर दी गयी।

4- शासन द्वारा पारित उक्त परिनिन्दा दण्ड के विरूद्ध श्री मनोज कुमार गर्ग द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 22.06.2017 पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि पारित उक्त निर्णय में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9 के उप नियम (2) एवं (4) तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 22.04.2015 के प्रस्तर-10 में अन्तर्निहित प्रावधानों एवं नियमों को त्रुटिवश संज्ञान नहीं लिया गया। अतः उक्त त्रुटि को परिमार्जित कर विधिक/नियमित करने हेतु श्री मनोज कुमार गर्ग के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 25.05.2017 को प्रास्थगित रखते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1326/92-2-2017-121जांच/ 2016, दिनांक 08.09.2017 द्वारा श्री गर्ग को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके पत्र दिनांक 16.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

5- श्री मनोज कुमार गर्ग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्य में रूचि न लेने के संबंध में अभिकिथत किया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-50, 20.07.2016 के द्वारा उनके न मांगे जाने के उपरान्त भी उन्हें प्रखण्ड एवं पी0आई0यू0 मुजफ्फरनगर से प्रखण्ड एवं पी0आई0यू0 बांदा में स्थानान्तरण करते हुए, प्रखण्ड-चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 27.07.2016 को योगदान किया गया। उनके पर्व तैनाती प्रखण्ड एवं पी0आई0यू0 मुजफ्फरनगर में किसी अधिशासी अभियन्ता को तैनाती नहीं की गई थी। उनके पास प्रखण्ड-बांदा में योगदान के उपरान्त भी प्रखण्ड एवं पी0आई0यू0 मुजफ्फरनगर के अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार यथावत रहा, जिसके कारण उनके द्वारा ही दिनांक 29.08.2016 तक प्रखण्ड एवं पी0आई0यू0 मुजफ्फरनगर के अधिशासी अभियन्ता के कार्य भी सम्पादित किया जाता रहा। जनपद-मुजफ्फरनगर एवं जनपद-बांदा के मध्य दूरी लगभग 600 कि0मी0 है। जनपद मुख्यालय बांदा एवं जनपद मुख्यालय चित्रकूट के मध्य दूरी लगभग 70 कि0मी0 है। प्रखण्ड चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की तिथि दिनांक 20.07.2016 से मुजफ्फरनगर का कार्यभार हटने की तिथि दिनांक 29.08.2016 तक उन्हें चार अधिशासी अभियन्ता के लिए निर्धारित कार्यभार संपादन का दायित्व सौंपने के साथ-साथ एक अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-चित्रकूट का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। प्रखण्ड-चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार के संबंध में दण्डादेश पारित किया गया। उनके सहमति के बिना पांच अधिशासी अभियन्ता का सम्पूर्ण कार्यभार संपादन का दायित्व शासन द्वारा सौंपा गया। दण्डादेश पारित करने के समय उक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुए संभवतः विचार नहीं किय गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

6- श्री गर्ग द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि दिनांक 26.07.2016 को प्रखण्ड चित्रकूट का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 22 कार्यों के समस्त औपचारिकताएं (यथा निविदा आमंत्रण, तकनीकी स्वीकृति, बिड मूल्यांकन, अनुबन्ध गठन आदि) को एक अभियान के रूप से युद्ध स्तर पर करते हुए, सभी कार्यों के अनुबन्ध गठित किए गए। अधिकांश कार्यों को प्रारम्भ करने की तिथि माह अगस्त, 2016 के अन्तिम सप्ताह एवं सितम्बर, 2016 के प्रथम सप्ताह की तिथियां निर्धारित करते हुए, कार्य पूर्ण करने हेतु 03 से 04 माह का समय निर्धारित की गई थी। सभी कार्य प्रगति मे चल रहे थे। माह अगस्त एवं सितम्बर में जनपद चित्रकूट एवं बांदा में भारी वर्षा हुई थी। अत्यधिक वर्षा के साथ-साथ काली कपासी मिट्टी एवं कच्ची सड़के होने के कारण निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर पंहुचाने एवं निर्माण कार्य कराने में व्यवहारिक रूप से अत्यधिक कठिनाई हुयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 27.09.2016 से 26.10.2016 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सहित प्रदेश के अधिकांश विभागों में कार्यरत अवर अभियन्ता डिप्लोमा इंजीनियर्स के आह्वान पर हड़ताल पर रहें, जिसके कारण कार्य की प्रगति बाधित हो गई तथा जनपद चित्रकूट में खनन पट्टे निरस्तीकरण के फलस्वरूप निर्माण सामग्री अप्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। श्री गर्ग द्वारा एडवांस धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कराये जाने हेतु अनुरोध के उपरान्त भी जिलाधिकारी चित्रकूट के स्तर से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होने एवं दिनांक 08.11.2016 से नोटबन्दी के निर्णय के बाद ठेकेदारों द्वारा कैश के अभाव में निर्माण कार्य लगभग बन्द कर दिया गया था।

श्री गर्ग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन दिनांक 16.11.2017 में उन्हीं सभी स्थितियों/परिस्थियों का उल्लेख किया है, जो उनके द्वारा पूर्व में ही जांच अधिकारी को उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर में दिया गया था। अभ्यावेदन में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नहीं है।

7- इस प्रकार अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा अपने बचाव उत्तर में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। चूंकि श्री गर्ग के प्रत्यावेदन में कोई अतिरिक्त तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अत: श्री मनोज कुमार गर्ग को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2017/350/92-2-17-121जांच/2016, दिनांक 25.05.2017 द्वारा दिये गये "परिनिन्दा" के दण्ड को समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार था, का प्रत्यावेदन दिनांक 16.11.2017 एतद्द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-07/2018/130(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा (अतिरिक्त कार्यभार अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट) सम्प्रति प्रखण्ड-रामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रविष्टि श्री मनोज कुमार गर्ग के चरित्र पंजिका में रखी जाय।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in